राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 349/2015/जोधपुर

श्रीमती लीलादेवी पति स्व. श्री किशनचन्द जी निवासी
पावटा सी रोड, जोधपुर व अन्य .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर (मुद्रांक) जोधपुर
2. श्री परसाराम चौहान पुत्र श्री चुन्नीलाल चौहान, पावटा बी रोड, जोधपुर व अन्य

.....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री कृष्णगोपाल खत्री, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व की ओर से.
कोई उपस्थित नहीं .....अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से.

दिनांक : 23/04/2015

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 65(2) में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें जिला कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर के निर्णय दिनांक 19.05.2011 को चुनौती दी गयी है जो कि प्रकरण संख्या 01/2011 में पारित किया गया है।

वकील प्रार्थी निगरानीकर्ता श्री कृष्णगोपाल खत्री उपस्थित। उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित। जिन्हे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी निगरानीकर्ता श्री कृष्णगोपाल खत्री ने आग्रह किया कि उनका प्रार्थना पत्र निगरानी एडमिट किया जाय एवं जिला कलक्टर (मुद्रांक) जोधपुर के आदेश दिनांक 19.05.2011 को अन्तिम फैसले तक स्थगित किया जाय। उनका अग्रिम यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में उनकी सुनवायी नहीं हुई और इस प्रकार एकपक्षीय निर्णय से उनके हक पर विपरीत प्रभाव पडता है।

उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई का कथन है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2011 की पूर्ण पालना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रार्थना पत्र एडमिट करने का कोई तर्क नहीं है और न्यायालय इसे एडमिट न करे। उनका यह भी कहना है कि यदि प्रार्थी निगरानीकर्ता यह समझते है कि उनके हक पर विपरीत प्रभाव पडा है तो वह इसके लिये उचित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 5 में निगरानीर्ता ने स्वयं लिखा है कि गैर निगरानीकर्ता श्री परसाराम चौहान ने एक आवेदन पत्र के द्वारा कर बोर्ड में जो निगरानी विचाराधीन थी उसको राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.12.2014 के आधार पर विड्रा कर लिया है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य सामने आया है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2011 की पालना हो चुकी है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अब किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी एडमिट करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी एडमिट नहीं की जाती है साथ ही प्रार्थी निगरानीकर्ता का स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र भी अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष